म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

दूरभाष 0755-2551276, E-mail id- mpscsc.ho@mp.gov.in

दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु नियमावली

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2029, National Federation of Blind MP Branch विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 30 जनवरी 2024 को पारित निर्णय के परिपालन में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04.01.2024 , दिनांक 14.02.2024 तथा 31.05.2024 के माध्यम से विभाग में दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित के लिए चिन्हांकित रिक्त पदों की पूर्ति ''Walk-in-interview'' के माध्यम से किए जाने के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन- पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. **दिव्यांग श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :-**

स. क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियाँ		शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रेड-पे 2800 (सातवें वेतनमान के मेट्रिक लेवल -7) समय-समय पर देय अन्य भत्ते	दृष्टि बाधित	1	1. वाणिज्य संकाय में 50 प्रतिशत अंको से स्नातक एवं शासन द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र (कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बी.सी.ए./एम.सी.ए. के अभ्यार्थियों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी)
				श्रवण बाधित	0	
				लोकोमीटर डिसेबिलिटी	0	
				बहु विकलांगता	0	
				योग	**1**	
2	सहायक	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रेड-पे 2400 (सातवें वेतनमान के मेट्रिक लेवल -6) समय-समय पर देय अन्य भत्ते	दृष्टि बाधित	0	1. किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं शासन द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र (कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बी.सी.ए./एम.सी.ए. के अभ्यार्थियों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी) 2. म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) स्कोर कार्ड अभ्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक वं हिन्दी टंकण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य ।
				श्रवण बाधित	1	
				लोकोमीटर डिसेबिलिटी	0	
				बहु विकलांगता	1	
				योग	**2**	
3	कनिष्ठ सहायक	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रेड-पे 1900 (सातवें वेतनमान के मेट्रिक लेवल -4) समय-समय पर देय	दृष्टि बाधित	1	1. किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं शासन द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र (कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बी.सी.ए./एम.सी.ए. के अभ्यार्थियों को
				श्रवण बाधित	1	
				लोकोमीटर डिसेबिलिटी	1	
				बहु	4	

			अन्य भत्ते	विकलांगता		कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य । 2. म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) स्कोर कार्ड अभ्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक वं हिन्दी टंकण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य ।
				योग	**7**	

2. **वेतनमानः-** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3. **पदों के लिये अधिकतम आयु सीमाः-**
   - 3.1 अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2025 से निर्धारित की जावेगी।
   - 3.2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/ 2016 / 1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) निर्धारित की गई है ।
   - 3.3 मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3, दिनांक 22.02.2022 में प्रावधानुसार पत्र की कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है।

4. **रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन -** सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

5. **दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जानाः-** अभ्यर्थी अपने आवेदन- पत्र www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन पद्वति से भरना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता, शर्तें एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश विभाग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
7. **आवेदन शुल्कः-** आवेदन शुल्क रूपये 200/- (GST
8. पृथक से) प्रति आवेदन हेतु निर्धारित है। आवेदन शुल्क को एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यू. पी. ई. / वालेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी।
9. **अभ्यर्थियों की मुख्य सूची (चयन सूची) तथा प्रतीक्षा सूची (अनुपूरक सूची) जारी करनाः-** संयुक्त प्रवीण्य सूची के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या के लिये अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी अनुसार मुख्य सूची/चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी । मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1-3, दिनांक 10.10.2016

की कंडिका 03 एवं 04 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले) प्रभावी रहेगी।

10. **नियुक्ति के लिए एम. पी. ऑन लाईन की अनुशंसाऐं:-**

9.1 एम. पी. ऑनलाईन आवेदित अभ्यर्थियों के नामों की सूची आवेदक द्वरा धारित अर्हता के प्रतिशत के घटते क्रम में म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराएगा |

9.2 म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और एम. पी. ऑनलाईन द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपाचारिकताऐं पूरी करेगा तथा नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

9.3 एम. पी. ऑनलाईन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन जारी अभिलेखों का परीक्षण ऑनलाईन एवं अभ्यर्थी का आधारकार्ड के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सकेगा।

9.4 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

11. **आरक्षण -**

10.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक 18105/2021 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा। सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की Website- http://gad.mp.gov.in पर जाएँ।

10.2 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है:-

''किन्ही सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।''

10.3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

10.4 सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:-

1	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत

2	बहरे और कम सुनने बाने,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3	लोकोमीटर डिमेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

12. **आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश :-**

- ✓ आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/ 2016 / 1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- ✓ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ. प्र./ एक, दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.5 के अनुसार दिव्यांग के लिए चिन्हांकित रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी
- ✓ अभ्यर्थी की केवल वही जन्म तिथि स्वीकार होगी, जो हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित है, जो वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगाऔर ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-9/ 2016 / 1-3, दिनांक 10.10.2016 के अनुसार भर्ती परीक्षा विज्ञापनों उल्लेखित पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- ✓ अपूर्ण एवं गलत भरे गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।
- ✓ शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता /सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के संलग्न कर प्रेषित करेंगे तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ✓ चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/ निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ✓ वांछित समस्त प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों को स्वयं सत्यापित करने के उपरांत ही प्रमाण पत्रों की प्रति अपलोड की जावे।
- ✓ आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण- पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अत: ऑनलाइन आवेदन फ़ार्म को भलीभांति सोच समझकर भरने का दायित्व आवेदक का होगा ।
- ✓ चयनित अभ्यर्थियों को म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।

- ✓ आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल, निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जाये।
- ✓ ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
- ✓ यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा की जावेगी।
- ✓ यह कि बिना किसी पूर्व सूचना के चयन को स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को रहेगा। अभ्यर्थी के चयन अथवा चयन उपरांत नियुक्त के संबंध में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- ✓ चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने परउसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ✓ यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जावेगा।
- ✓ यह कि जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरित नहीं होगा।
- ✓ किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन अभिप्राप्त किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।
- ✓ नियत अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- ✓ साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ दिखाना अनिवार्य है।
- ✓ साक्षात्कार तिथि के संबंध में पृथक से सूचित किया जावेगा।